

विषय - संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 108वीं तथा वर्ष 2021 की चौथी तिमाही बैठक संस्थान के निदेशक, प्रो. सतीश चंद्र की अध्यक्षता में दिनांक 10.12.2021 को पूर्वा. 11.00 बजे एमएस टीम के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में संस्थान के 34 अधिकारियों ने भाग लिया, जिनका विवरण एमएस टीम से प्राप्त किया गया। निदेशक महोदय ने ऑनलाइन बैठक में समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि संस्थान में दो नए हिंदी अनुवादकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दोनों हिंदी अनुवादकों ने समिति के सदस्यों को अपना परिचय दिया। तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव ने पिछली तिमाही बैठक की कार्यसूची की मदों को पावरपाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया।

मद सं 1 बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही बैठक दिनांक 02.09.2021 को हुई। इसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किया गया था। कार्यवृत्त के बारे में किसी से कोई प्रतिकूल या संशोधन टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। तत्पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाई पर मदानुसार प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। उन पर क्रमशः चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

मद सं 1.1 सदस्य सचिव ने बताया कि संस्थान को राजभाषा विभाग एवं सीएसआईआर मुख्यालय की ओर से हिंदी में कार्य करने के लिए आदेश प्राप्त होते रहते हैं जिसके अनुसार संस्थान में राजभाषा नीति से संबंधित कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाते हैं। राजभाषा हिंदी से संबंधित ऐसे सभी कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र आदि सूचनाएं संस्थान के इंटरनेट पर अपलोड की जाती हैं। पूर्व में जारी राजभाषा से संबंधित सभी प्रमुख निदेशों को इंटरनेट पर देखा जा सकता है। समिति को सूचित किया गया कि संस्थान में कार्यरत अधिकारियों के हिंदी ज्ञान के विवरण को अद्यतन बनाया जा रहा है तथा शीघ्र ही प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएंगे। समिति ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि हिंदी में कार्य के लिए विनिर्दिष्ट अनुभागों, प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों एवं निर्धारित जांच बिंदुओं के द्वारा संबंधित नियमों का अनुपालन अपेक्षित है।

कार्रवाई.. सभी प्रमुख: विनिर्दिष्ट 19 अनुभागों के प्रभारी: प्रवीणता प्राप्त अधिकारी: सभी जांच बिंदु

मद सं 2 बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की चर्चा करते हुए सीएसआईआर एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाले समीक्षा पत्रों की जानकारी दी गई। सदस्य सचिव ने बताया कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों को 100% पत्र हिंदी में भेजने की आवश्यकता है जिसके लिए संस्थान के सभी अधिकारियों को प्रयास करना होगा। समीक्षा के सभी पत्रों में हिंदी में कम पत्राचार की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। हिंदी की विविध गतिविधियों के आयोजन, टिप्पणी लेखन, हिंदी प्रकाशन आदि के लिए संस्थान की सराहना की गई है। तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों में सुधार के लिए सभी प्रमुखों से अनुरोध किया गया क्योंकि रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर ही किसी कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। इसके लिए उच्च अधिकारियों के द्वारा हिंदी में स्वयं कार्य करने और अधीनस्थों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

कार्रवाई.. सभी प्रमुख, उच्च अधिकारीगण, तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने वाले संपर्क अधिकारी

मद सं 3 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के निदेशों एवं लक्ष्यों के संदर्भ में संस्थान के पत्राचार पर विचार किया गया। सदस्य सचिव ने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रशासनिक अनुभागों में टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में सुधार लाया जा सके। संस्थान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक अनुभागों को हिंदी में पत्राचार को बढ़ाने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसी क्रम में, हिंदी में अपना पूरा काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए संस्थान के 19 अनुभागों के सभी प्रमुखों से अनुरोध किया गया कि नियमानुसार हिंदी में काम बढ़ाने के लिए प्रयास करें। समिति को आश्वस्त किया गया कि इस प्रयास में राजभाषा अनुभाग का सदैव सहयोग रहेगा।

कार्रवाई.. सभी प्रमुख, विनिर्दिष्ट 19 अनुभागों के प्रभारी: राजभाषा अनुभाग

मद सं 4 नराकास की नौवीं बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने कहा कि संस्थान के हिंदी कार्य को देखते हुए संस्थान को उत्कृष्ट श्रेणी प्रदान की गई है। समिति को सूचित किया गया कि नराकास को संस्थान की सभी हिंदी गतिविधियों की रिपोर्ट भेजी जाती है। इसी क्रम में दिनांक 08.12.21 को आयोजित प्लेटिनम जयंती ऑनलाइन तकनीकी हिंदी संगोष्ठी की चर्चा की गई। इसमें प्रस्तुत 07 तकनीकी प्रस्तुतिकरणों में से अधिकांश संस्थान के युवा वैज्ञानिकों ने दिए थे। डॉ. के.रविंदर, प्रभागीय प्रमुख ने जानना चाहा कि क्या ऐसे कार्यक्रम के लिंक को बाहरी संगठनों/वैज्ञानिकों को भी भेज सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि ऑनलाइन कार्यक्रमों का लिंक बाहर भेजा जा सकता है तथा भविष्य में व्याख्यानो के लिए तकनीकी विषय न लेकर किसी सामान्य विषय को लेना उचित रहेगा। प्रस्तुतिकरण के ऐसे कार्यक्रमों में हिंदीतर वैज्ञानिकों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कार्रवाई.. सभी प्रमुख, राजभाषा अनुभाग

मद सं 5 बैठक में सीएसआईआर मुख्यालय के द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को संपन्न संस्थान के राजभाषा विषयक निरीक्षण के संदर्भ में प्राप्त पत्र पर विचार किया गया। मुख्यालय से प्राप्त रिपोर्ट में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए संस्थान द्वारा संपन्न कार्यों को 'सराहनीय व प्रशंसनीय' बताया गया है। रिपोर्ट में ध्यानाकर्षित बिंदुओं एवं अपेक्षित कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई -

1. संस्थान के रजिस्ट्रारों में अधिकाधिक प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं। (कार्रवाई.. सभी प्रमुख)
2. सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां और अधिक हिंदी में की जाएं। (कार्रवाई.. स्था. 1 अनुभाग)
3. संस्थान के कंप्यूटरों/लैपटॉपों पर हिंदी कार्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

(कार्रवाई.. सभी उपयोगकर्ता)

4. हिंदी में और अधिक टिप्पणियां लिखने के प्रयास किए जाएं जिसमें अंग्रेजी शब्दों का ट्रांसलिट्रेशन भी किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक व तकनीकी वर्ग भी हिंदी में टिप्पणियां लिख सकता है।

(कार्रवाई.. सभी प्रमुख)

5. मूल रूप से अधिक पत्र हिंदी में लिखने के प्रयास किए जाएं।

(कार्रवाई.. सभी प्रमुख व पत्रों के हस्ताक्षरकर्ता)

6. हिंदी कार्यशालाओं में अधिकाधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को गूगल वाइस टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया जाए।

(कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग)

7. घर में मातृभाषा, कार्यालय में राजभाषा की पट्टिका को बड़े फांट साइज में लिखकर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी लगवाएं।

(कार्रवाई.. प्रमुख, अनुरक्षण प्रभाग)

निदेशक महोदय ने सुझाव दिया कि इस प्रकार का राजभाषा निरीक्षण भविष्य में भी किया जा सकता है। इसलिए सभी संबंधितों के द्वारा उपर्युक्त बिंदुओं के साथ साथ पत्राचार, धारा 3(3), नोटिंग आदि के लक्ष्यों की पूर्ति एवं राजभाषा नियमों के पालन पर प्राथमिकता से कार्रवाई करना अनिवार्य है।

कार्रवाई.. सभी प्रमुख, जांच बिंदु, राजभाषा अनुभाग एवं उपर्युक्त अनुभाग/अधिकारी

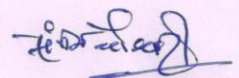
मद सं. 5.1 समिति को सीएसआईआर मुख्यालय से प्राप्त 07 सूत्री चार्टर विषयक पत्रों की जानकारी दी गई। इनके अनुसार 10 जनवरी 2022, 'विश्व हिंदी दिवस' तथा 21 फरवरी 2022, 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' के अवसर पर उचित कार्रवाई यथा समारोह/प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए कहा गया है। सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी पखवाड़े के दौरान पुस्तकालय प्रभाग के सहयोग से हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी एवं विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्मिकों एवं प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी प्रकार, दो या तीन अनुभागों/प्रभागों के साथ मिलकर उपर्युक्त तिथियों में आयोजन किया जा सकता है जिससे हिंदी में कार्य के प्रति रुझान बढ़ सके। यह आयोजन प्रतियोगिता/प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा/अथवा हिंदी पुस्तकों/राजभाषा की उपलब्धियों की प्रदर्शनी के रूप में हो सकता है। समिति ने इस बात पर सहमति जताई एवं प्रस्ताव को उपयोगी बताया।

कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग एवं प्रमुख, डीएलएस

मद सं. 6 बैठक में संस्थान के प्रभागों/अनुभागों की राजभाषा संबंधी उपलब्धियों पर विचार किया गया। समिति ने 'सड़क दर्पण' के नए अंक 22 की सराहना की। सदस्य सचिव ने 'सड़क दर्पण' के अगले अंक में प्रकाशन के लिए सभी अधिकारियों से रचनाएं आदि देने का अनुरोध किया। निदेशक महोदय ने संस्थान की वेबसाइट को क्षेत्रीय भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी में रखने से संबंधित आदेश की चर्चा की और सीसीएन प्रभाग से वेबसाइट को पूरी तरह से हिंदी में भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया। संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रभागीय प्रमुखों से अपने सुझाव देने के लिए कहा गया जो राजभाषा अनुभाग को दिए जाने चाहिए।

कार्रवाई.. प्रमुख, सीसीएन प्रभाग, सभी प्रमुख एवं राजभाषा अनुभाग

बैठक का उपर्युक्त कार्यवृत्त सभी संबंधितों को निदेशक महोदय के अनुमोदन से सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है।


30-12-2021
(संजय चौधरी)

हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव, राकास

प्रति-

1. निदेशक महोदय के निजी सचिव - सूचनार्थ
2. वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक के निजी सचिव - सूचनार्थ
3. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव - सूचनार्थ
4. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य - सभी संबंधितों की सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ
5. वरि. हिंदी अधिकारी, सीएसआईआर मुख्यालय
6. उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (रा.भा.), ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली
7. कार्यालय प्रति